डीजी परिपत्र संख्या– 27/2017

सुलखान सिंह
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः अगस्त 18 ,2017

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उत्पीड़न के विरूद्व सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–1989 बनाया गया है एवं इस अधिनियम के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम– 1995 भी प्रख्यापित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपराधों की विवेचना एवं निस्तारण के सम्बन्ध में समय–समय पर इस मुख्यालय द्वारा पाश्वांकित परिपत्रों के माध्यम से आप सभी को निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

डीजी–परिपत्र संख्या–57/2016 दिनांक–03–10–2016
डीजी–परिपत्र संख्या–28/2009 दिनांक–21–05–2009
डीजी–परिपत्र संख्या–45/2005 दिनांक–09–09–2005

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 की धारा–4 के निर्देश में अभियोजन निदेशालय द्वारा प्रत्येक 06 माह के उपरान्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के वादों की समीक्षा की जाती है। इसी कम में अभियोजन निदेशालय द्वारा दिनांक–26–07–2017 को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के समस्त सम्बन्धित अभियोजक/जिला शासकीय अधिवक्ता सम्मिलित हुए। गोष्ठी में विचार–विमर्श के दौरान अभियोजन अधिकारियों द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत की जा रही विवेचनाओं के सम्बन्ध में कतिपय सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं, जो निम्नवत हैः–

1. अभियोग की केस डायरी विवेचक (पुलिस उपाधीक्षक) द्वारा स्वयं न लिखकर हेड मोहर्रिर/दीवान से लिखवायी जा रही है। प्रायः विवेचना पूर्ण होने तक कई क्षेत्राधिकारी बदल जाते हैं, परन्तु हैण्ड राइटिंग एक ही व्यक्ति की बनी रहती है। विवेचक जब बयान देने हेतु न्यायालय में जाते हैं तो केस डायरी पढ़ नहीं पाते हैं क्योकि केस डायरी वह स्वयं नहीं लिखते हैं। इस कारण भी मुकदमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः विवेचक केस डायरी स्वयं लिखें।

2. विवेचक (पुलिस उपाधीक्षक) प्रायः घटनास्थल का निरीक्षण स्वयं नहीं कर रहे हैं। नक्शा नजरी पर विवेचक प्रायः हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। अतः विवेचक घटनास्थल का निरीक्षण स्वयं करें एवं नक्शा नजरी पर हस्ताक्षर भी करें।

3. विवेचक (पुलिस उपाधीक्षक) प्रायः पीड़ित पक्ष का जाति प्रमाण–पत्र विवेचना में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। अतः विवेचक द्वारा पीड़ित पक्ष का जाति प्रमाण–पत्र विवेचना में अवश्य सम्मिलित किया जाये।

4. जिन मामलों में क्षेत्राधिकारी द्वारा काल डिटेल बनायी गयी है उसमें काल डिटेल बनाने वाले का पूर्ण विवरण तथा प्रत्येक स्टेटमेंट विवेचक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

5. विवेचक (पुलिस उपाधीक्षक) को साक्ष्य संकलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा गवाह के नाम/पिता के नाम के साथ शारीरिक पहचान चिन्ह भी उल्लिखित करना चाहिए।

2. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना करने वाले अपने अधीनस्थ नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों को उक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए उन्हें निर्देशित करें कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना करते समय उपरोक्त बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखें।

भवदीय,

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.अपर पुलिस महानिदेशक(विशेष जॉच), उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
3.पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।